(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड–3, उप–खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 33/2025–26
नई दिल्ली, दिनांकः 24 सितम्बर, 2025

विषयः आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–II (निर्यात नीति) के अध्याय 10 के अंतर्गत गैर–बासमती चावल की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–II (निर्यात नीति), अध्याय 10 के संबंधित आइटीसी (एचएस) कोडों के तहत गैर–बासमती चावल के निर्यात को नियंत्रित करने वाली निम्नलिखित अतिरिक्त नीतिगत शर्त को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार निर्धारित करती है :–

आइटीसी (एचएस) कोड	विवरण	निर्यात नीति	अतिरिक्त नीतिगत शर्त
1006 3011 1006 3019 1006 3091 1006 3099 1006 4000	गैर–बासमती चावल	मुक्त	निर्यात केवल कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ अनुबंध के पंजीकरण के अधीन अनुमत है।

अधिसूचना का प्रभावः गैर–बासमती चावल की निर्यात नीति में अतिरिक्त शर्त शामिल करके इस सीमा तक संशोधन किया गया है कि गैर–बासमती चावल के निर्यात की अनुमति केवल एपीडा के साथ अनुबंध के पंजीकरण के आधार पर दी जाएगी।

(अजय भादू)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/010/एएम23ईसी/ई–33294 से जारी)